भारत सरकार और सीलोन सरकार के बीच वायु सेवाओं से संबंधित समझौता

भारत सरकार और सीलोन सरकार

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय (जिसे आगे "अभिसमय" कहा गया है), जो 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, की पक्षकार होते हुए, तथा

भारत और सीलोन के राष्ट्रक्षेत्रों के बीच और उनके बाहर वाणिज्यिक वायु परिवहन सेवाओं के संचालन के लिए, अभिसमय के पूरक रूप में एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद –I

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते के अनुबंध में विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं (जिन्हें आगे "विनिर्दिष्ट वायु सेवाएँ" कहा गया है) को उक्त अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों (जिन्हें आगे "विनिर्दिष्ट वायु मार्ग" कहा गया है) पर संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद-II

(क) प्रत्येक विनिर्दिष्ट वायु सेवा उस संविदाकारी पक्ष के विकल्प पर, जिसे इस समझौते के अधीन अधिकार प्रदान किए गए हैं, तत्काल या बाद की किसी तारीख को प्रारंभ की जा सकती है, बशर्ते कि:

(1) जिस संविदाकारी पक्ष को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसने प्रत्येक विनिर्दिष्ट वायु मार्ग के लिए एक एयरलाइन (जिसे आगे "निर्दिष्ट एयरलाइन" कहा गया है) नामित किया हो।

(2) अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष ने उक्त एयरलाइन को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ग) के अनुसार उपयुक्त संचालन अनुमति दे दी हो, और वह अनुमति यथासंभव कम विलंब से दी जाएगी।

(ख) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निर्दिष्ट एयरलाइन /एयरलाइनों का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस पक्ष या उसके नागरिकों में निहित होगा।

(ग) निर्दिष्ट एयरलाइन से अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने की अपेक्षा की जा सकती है कि वह वाणिज्यिक वायु सेवाओं के संचालन पर उन प्राधिकरणों द्वारा सामान्यतः लागू किए जाने वाले कानूनों और विनियमों द्वारा या उनके अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हैं।

(घ) प्रत्येक विनिर्दिष्ट वायु सेवा का संचालन संबंधित संविदाकारी पक्ष की इस सहमति के अधीन होगा कि विनिर्दिष्ट वायु मार्ग पर नागरिक विमानन के लिए उपलब्ध मार्ग-संगठन वायु सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए पर्याप्त है।

अनुच्छेद III

अनुच्छेद IV के उपबंधों के अधीन, कोई निर्दिष्ट एयरलाइन किसी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, विनिर्दिष्ट वायु मार्ग पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र या किसी तीसरे देश से लिया गया अथवा उसके लिए नियत यातायात को अपने विमान द्वारा उस राज्यक्षेत्र के ऊपर से ले जा सकता है, वहाँ उतार सकता है और वहाँ से उड़ान भर सकता है।

अनुच्छेद IV

विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं की क्षमता और विनिर्दिष्ट वायु मार्गों या उनके खंडों पर वायु परिवहन के लिए जनता की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित और बनाए रखने तथा विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं के परस्पर संबंध और उन सेवाओं तथा उसी वायु मार्ग या उसके किसी खंड पर संचालित अन्य वायु सेवाओं के बीच उचित संबंध स्थापित और बनाए रखने के लिए, संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हैं:

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों को दोनों पक्षों के राष्ट्रक्षेत्रों के बीच यातायात के परिवहन हेतु वायु सेवाओं के संचालन में समान अधिकार प्राप्त होंगे।

(ख) जहाँ किसी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन अस्थायी रूप से पैराग्राफ (क) में उल्लिखित अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ हों, वहाँ दोनों पक्ष स्थिति की संयुक्त रूप से समीक्षा करेंगे, ताकि संबंधित एयरलाइनों को यथाशीघ्र इन सेवाओं में क्रमशः उनका उचित योगदान बढ़ाने में सहायता दी जा सके।

(ग) किसी संविदाकारी पक्ष के वायु परिवहन उपक्रमों द्वारा विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं के संचालन में दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि उसी मार्ग या उसके किसी भाग पर परवर्ती द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ अनुचित रूप से प्रभावित न हों।

(घ) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइनों द्वारा विनिर्दिष्ट वायु मार्गों के विभिन्न खंडों पर उपलब्ध कराया जाने वाला वायु परिवहन जनता की वायु परिवहन संबंधी आवश्यकताओं तथा इस समझौते में उपबंधित संबंधित एयरलाइनों के यातायात हितों से निकटता से संबंधित होगा।

(ङ) इस समझौते के अधीन किसी निर्दिष्ट एयरलाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य, संबंधित अन्य राज्यों की एयरलाइनों के साथ मिलकर, उस देश के बीच, जिसका उक्त एयरलाइन राष्ट्रीय है, और यातायात के अंतिम गंतव्य वाले देश के बीच यातायात की मांग के अनुरूप पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त, किसी पक्ष के निर्दिष्ट एयरलाइन को दूसरे पक्ष की राज्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट वायु मार्गों पर तीसरे देशों के लिए या वहाँ से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने का अधिकार दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत सुव्यवस्थित विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाएगा और यह सामान्य सिद्धांत के अधीन होगा कि क्षमता निम्नलिखित से संबंधित हो:

(1) वायु सेवा के उद्गम देश और विनिर्दिष्ट वायु मार्गों पर गंतव्यों के बीच यातायात की आवश्यकताओं से;

(2) उस क्षेत्र की वायु परिवहन आवश्यकताओं से, जहाँ से एयरलाइन गुजरती है; और

(3) संबंधित राष्ट्रों की एयरलाइनों द्वारा उनके-अपने राष्ट्रक्षेत्रों के बीच स्थापित अन्य वायु परिवहन सेवाओं की पर्याप्तता से।

अनुच्छेद V

किसी संविदाकारी पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइन दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी बिंदु पर केवल निम्नलिखित शर्तों के अधीन विमान-प्रकार/क्षमता परिवर्तन (change of gauge) कर सकतीहै:

(i) यह सेवा के संचालन में अर्थव्यवस्था के कारण उचित ठहराया गया हो;

(ii) पहले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अंतिम बिंदु से अधिक दूर वाले खंड पर प्रयुक्त विमान, निकटवर्ती खंड पर प्रयुक्त विमानों की तुलना में कम क्षमता वाले हों;

(iii) कम क्षमता वाले विमान केवल अधिक क्षमता वाले विमानों के साथ समन्वय में संचालित हों और उनकी अनुसूची इस प्रकार बनाई गई हो; कम क्षमता वाले विमान उस परिवर्तन-बिंदु पर इस उद्देश्य से पहुँचें कि अधिक क्षमता वाले विमानों से स्थानांतरित किए गए या उनमें स्थानांतरित किए जाने वाले यातायात को ले जा सकें, और उनकी क्षमता मुख्यतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए;

(iv) प्रत्यक्ष/निरंतर यातायात की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो; और

(v) क्षमता परिवर्तन से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर इस समझौते के अनुच्छेद IV के उपबंध लागू हों।

अनुच्छेद VI

(क) दरें उचित स्तर पर निर्धारित की जाएँगी और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें तुलनीय आर्थिक संचालन की लागत, उचित लाभ, सेवा की विशेषताओं में अंतर तथा मार्ग पर, यदि कोई हों, अन्य संचालकों द्वारा वसूल की जाने वाली दरें शामिल हैं।

(ख) दोनों पक्षों के राष्ट्रक्षेत्रों के बीच यातायात के संबंध में इस समझौते के अधीन नामित किसी एयरलाइन द्वारा वसूल की जाने वाली दरें पहले संबंधित निर्दिष्ट एयरलाइनों के बीच, उस मार्ग या उसके किसी भाग पर संचालित अन्य एयरलाइनों से परामर्श करके, सहमति से निर्धारित की जाएँगी। इस प्रकार सहमत दरें संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरणों की स्वीकृति के अधीन होंगी। यदि एयरलाइनों के बीच असहमति हो, तो संविदाकारी पक्ष स्वयं समझौते पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और उस समझौते को प्रभावी करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएँगे। यदि संविदाकारी पक्ष सहमत होने में विफल रहते हैं, तो विवाद का निपटारा अनुच्छेद X के अनुसार किया जाएगा। समझौते द्वारा या अनुच्छेद X के अधीन विवाद के निपटारे तक पहले से निर्धारित दरें लागू रहेंगी।

(ग) जब तक दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) में परिभाषित यातायात से भिन्न यातायात के लिए दरों के विनियमन के संबंध में की गई किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक एक संविदाकारी पक्ष के एयरलाइन द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र और किसी तीसरे देश के बीच यातायात के लिए वसूल की जाने वाली दरें इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (क) में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर और दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएँगी। वे संबंधित विनिर्दिष्ट वायु मार्गों के उस भाग पर सेवाएँ संचालित करने वाले दूसरे पक्ष की एयरलाइनों द्वारा निर्धारित दरों से अनुचित या भेदभावपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होंगी; परंतु किसी निर्दिष्ट एयरलाइन से ऐसी दर वसूल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जो विनिर्दिष्ट वायु मार्गों पर संचालित किसी अन्य एयरलाइन द्वारा निर्धारित दर से अधिक हो।

(घ) यदि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन उचित समय के भीतर पैराग्राफ (ग) में परिभाषित यातायात के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य ढंग से दरें निर्धारित करने की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं करता है, तो दोनों पक्ष इस समझौते के अनुच्छेद X के अनुसार परामर्श करेंगे, ताकि पैराग्राफ (ग) में ऐसे संशोधन किए जा सकें जो वांछनीय प्रतीत हों।

अनुच्छेद VII

(क) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरण अनुरोध किए जाने पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों को निम्नलिखित उपलब्ध कराएँगे:-

(i) सहमत सेवाओं की आवृत्ति और क्षमता की समीक्षा के लिए आवश्यक उपयुक्त यातायात आँकड़े;

(ii) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए, वहाँ से, या उसके ऊपर से संचालित सेवाओं पर निर्दिष्ट एयरलाइनों द्वारा वहन किए गए यातायात से संबंधित यथोचित रूप से अपेक्षित आवधिक विवरण, जिसमें ऐसे यातायात के उद्गम और गंतव्य से संबंधित जानकारी शामिल होगी; और

(iii) विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं के संबंध में ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी यथोचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

(ख) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइन, जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, पर्याप्त अग्रिम सूचना के साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों को अनुसूची और दर-सारिणियों की प्रतियाँ तथा विनिर्दिष्ट वायु सेवाओं पर संचालित किए जाने वाले विमानों के प्रकारों से संबंधित विवरण उपलब्ध कराएँगे।

अनुच्छेद VIII

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने लिए यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह दूसरे पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइन को दी गई संचालन अनुमति को रोक सके या वापस ले सके, अथवा उस अनुमति के संबंध में ऐसी उपयुक्त शर्तें लगा सके जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि दूसरे पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइन पहले पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफल रहती है, या यदि पहले पक्ष के मत में इस समझौते के अनुसार अधिकार प्रदान किए जाने की शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं। कानूनों और विनियमों का पालन न किए जाने के मामलों को छोड़कर, ऐसी कार्रवाई पक्षों के बीच परामर्श के बाद ही की जाएगी। इस अनुच्छेद के अधीन किसी एक पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई दूसरे पक्ष के अनुच्छेद X के अधीन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद IX

(क) घनिष्ठ सहयोग की भावना से, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकरण अनुरोध किए जाने पर इस समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों के पालन और उपबंधों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परामर्श करेंगे।

(ख) कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है, ताकि इस समझौते में ऐसे संशोधन किए जा सकें जिन्हें वह वांछनीय समझता है। ऐसा परामर्श अनुरोध की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रारंभ होगा। ऐसे परामर्श के परिणामस्वरूप इस समझौते में सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा।

(ग) जब इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) में उपबंधित परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हो, तब कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष को इस समझौते को पैराग्राफ (ङ) के अनुसार समाप्त करने की अपनी इच्छा की सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी उसी समय दी जाएगी।

(घ) पैराग्राफ (ख) के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श लंबित रहने के दौरान, किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा आपात स्थिति में विनिर्दिष्ट वायु मार्गों में किए गए अस्थायी परिवर्तन, सिवाय उन परिवर्तनों के जो एक संविदाकारी पक्ष के निर्दिष्ट एयरलाइनों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सेवा दिए जाने वाले बिंदुओं को बदलते हों, इस समझौते में संशोधन नहीं माने जाएँगे। अतः प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरण ऐसे परिवर्तन एकतरफा कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे किसी परिवर्तन की सूचना बिना विलंब दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकरणों को दी जाए।

(ङ) यह समझौता दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समाप्ति की सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से एक वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले आपसी सहमति से सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख के चौदह दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद X

(क) यदि संविदाकारी पक्षों के बीच इस समझौते या इसके अनुबंध की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्ष सबसे पहले उसे आपसी वार्ता द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे।

(ख) यदि संविदाकारी पक्ष वार्ता द्वारा समाधान तक पहुँचने में विफल रहते हैं तो:

(i) वे आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति अथवा निकाय को विवाद का निर्णय सौंपने के लिए सहमत हो सकते हैं;

(ii) यदि वे ऐसा समझौता नहीं कर पाते, या यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विवाद सौंपने पर सहमत होने के बाद उसके गठन पर सहमत नहीं हो पाते, तो कोई भी संविदाकारी पक्ष विवाद का निर्णय ऐसे किसी सक्षम न्यायाधिकरण को सौंप सकता है जो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के भीतर स्थापित किया जा सकता है।

(ग) संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (ख) के अधीन दिए गए किसी भी निर्णय का पालन करने का वचन देते हैं।

(घ) यदि और जब तक कोई संविदाकारी पक्ष या किसी संविदाकारी पक्ष की निर्दिष्ट एयरलाइन पैराग्राफ (ख) के अधीन दिए गए निर्णय का पालन नहीं करती, तब दूसरा संविदाकारी पक्ष इस समझौते और इसके अनुबंध के आधार पर उसके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार को सीमित, रोक या वापस ले सकता है।

अनुच्छेद XI

यह समझौता हस्ताक्षर किए जाने के दिन प्रभावी होगा। यह समझौता और इससे संबंधित सभी संविदाएँ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत की जाएँगी।

अनुच्छेद XII

यदि वायु परिवहन से संबंधित कोई बहुपक्षीय अभिसमय या समझौता संपन्न होता है, जिसमें दोनों संविदाकारी पक्ष सम्मिलित हों, तो इस समझौते में ऐसे संशोधन किए जाएँगे जिससे यह उस अभिसमय या समझौते के उपबंधों के अनुरूप हो जाए।

अनुच्छेद XIII

(क) इस समझौते के प्रयोजन के लिए "राज्यक्षेत्र", "वायु सेवा" और "एयरलाइन" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अभिसमय में निर्दिष्ट है।

(ख) "वैमानिक प्राधिकरण" से, भारत के मामले में, भारत में नागरिक विमानन के महानिदेशक और सीलोन के मामले में, सीलोन के नागरिक विमानन निदेशक तथा दोनों ही मामलों में ऐसे किसी व्यक्ति या निकाय से अभिप्राय होगा जो उपर्युक्त प्राधिकरणों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए अधिकृत हो।

(ग) इस समझौते का अनुबंध समझौते का अभिन्न भाग माना जाएगा और "समझौते" के सभी संदर्भों में अनुबंध के संदर्भ भी सम्मिलित होंगे, सिवाय जहाँ स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित किया गया हो।

उपर्युक्त के साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में, 21 दिसंबर 1948 को, अंग्रेजी भाषा में, दो प्रतियों में किया गया।

भारत सरकार के लिए:	(हस्ताक्षरित) संचार मंत्री
सीलोन सरकार के लिए:	(हस्ताक्षरित) भारत में सीलोन के उच्चायुक्त

अनुबंध

भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन को इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर दोनों दिशाओं में वायु सेवाएँ संचालित करने और नीचे विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर सीलोन के राज्यक्षेत्र में यातायात संबंधी प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा।

मार्ग:

1. बंबई से कोलंबो और, यदि वांछित हो, उससे आगे।
2. मद्रास से कांकेसंतुरई या कोलंबो और, यदि वांछित हो, उससे आगे।
3. त्रिचिनोपोली से कांकेसंतुरई या कोलंबो।
4. त्रिवेंद्रम से कांकेसंतुरई या कोलंबो।

2. सीलोन सरकार द्वारा नामित एयरलाइन को इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर दोनों दिशाओं में वायु सेवाएँ संचालित करने और नीचे विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर भारत के राज्यक्षेत्र में यातायात संबंधी प्रयोजनों के लिए उतरने का अधिकार होगा।

मार्ग:

(1) कोलंबो और/या कांकेसंतुरई से त्रिचिनोपोली।
(2) कोलंबो और/या कांकेसंतुरई से मद्रास।
(3) कोलंबो और/या कांकेसंतुरई से त्रिवेंद्रम।
(4) कोलंबो-त्रिचिनोपोली या मद्रास-बंबई और उससे आगे।

3. (क) निर्दिष्ट मार्गों में से किसी मार्ग के किसी भी बिंदु को निर्दिष्ट एयरलाइन के विकल्प पर किसी एक या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।

(ख) यदि किसी समय किसी संविदाकारी पक्ष की किसी विनिर्दिष्ट वायु सेवा की निर्धारित उड़ानें दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में समाप्त होने के लिए संचालित की जाती हैं और वे उस राज्यक्षेत्र से आगे जाने वाली सतत वायु सेवा का भाग नहीं हैं, तो बाद वाले पक्ष को उस विनिर्दिष्ट वायु मार्ग पर अपने राज्यक्षेत्र में ऐसी निर्धारित उड़ानों का अंतिम बिंदु नामित करने का अधिकार होगा। यदि बाद वाला पक्ष ऐसी निर्धारित उड़ानों के लिए नया अंतिम बिंदु नामित करने का निर्णय करता है, तो वह दूसरे पक्ष को कम से कम छह महीने का नोटिस देगा।